भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com
फैक्स: 2753010

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809
Fax:2753010

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 09 / 82 / 2014 / एफ0सी0 / 893 दिनांक: 05 / 02 / 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–देहरादून के अन्तर्गत देहरादून–थानों रेंज में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु 4.00 है0 (पूर्व में 5.00 हे0) वन भूमि का हेतु उत्तराखण्ड होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक सख्या: / 09 / X-4-14 / 1-07(08) / 2014दि0 15.10.2014

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 31.12.2014 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र संख्या 1875 / 1जी–4461 (दे0दून),दिनांक–07.01.2015 द्वारा प्रेषित की गई। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून–थानों रेंज में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु 4.00 है0 (पूर्व में 5.00 हे0) वन भूमि के उत्तराखण्ड होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रत्यावर्तन की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के वदले प्रस्तावित 8.00 हे0 ग्राम सराड़ी के सियाणी तोक सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसका वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इसे छः माह मे आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर वढ़ोतरी होती है, तो वढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन वैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा कराई जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए।
5. वदली गयी प्रत्यार्वित होने वाली वन भूमि 4.00 हे0 के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना, Land Schedule, NPV एवं वृक्षों की गणना प्रस्तुत करें।

6. प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि प्रत्यार्वतन की गयी वन भूमि पर किसी भी प्रकार के आवासीय भवनो का निर्माण नही किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य की वचनबद्धता भी प्रस्तुत करें कि प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्तावित इस वन भूमि पर न तो किसी प्रकार के आवासीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है और न ही भविष्य में किया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अनिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्राप्त होने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
7. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षो का कटान/पातन नही किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
9. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
10. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
11. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
12. ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवम् वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

भवदीय,

अजय कुमार
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

5.2.201

अजय कुमार
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक